राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक एफ 7(39)वन/90/ दिनांक 17.10.2000

राज्यादेश

विषय :—परिभ्रांषित एवं वृक्ष विहीन हुई वन भूमि को पुनः हरा—भरा करने में ग्रामवासियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने की योजना ।

राष्ट्रीय वन नीति (1988) के अनुसार स्थानीय लोगों एवं गैर सरकारी/स्वयंसेवी संस्थाओं को वनों की सुरक्षा व प्रबन्ध में जोड़ने के प्रयास किये जाने चाहिए । यह कार्य साझा वन प्रबन्ध योजना से किया जा सकता है । इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में परिभ्रांषित एवं वृक्ष विहिन वन भूमि को पुनः हरा भरा करने में ग्रामवासियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने हेतु समसंख्यक राज्य आदेश दिनांक 15.3.91, 20.3.97, 10.5.99, 20.11.99 एवं 20.6.2000 द्वारा जारी किये गये थे । उक्त आदेशों के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा—28, 80 व 81 के अधीन ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का गठन एवं उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य आदेश दिनांक 10.5.99, 20.11.99 एवं 20.6.2000 को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है । साझा वन प्रबन्ध दिशा—निर्देश इस सिद्धान्त पर आधारित हैं कि ग्राम समुदाय वनों एवं वन भूमि के संरक्षण एवं प्रबन्ध के लिए तत्पर हैं, क्योंकि उनकी आजीविका एवं स्वावलम्बिता इस प्रकार के सार्वजनिक संसाधनों के सुव्यवस्थित प्रबन्ध से लाभान्वित होती है । यह दिशा निर्देश वन सुरक्षा समितियों को कई प्रकार के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव) भी प्रस्तावित करते हैं । इसमें ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु प्रेरित करने के लिए वन विभाग एवं स्थानीय समुदाय के साझा प्रयासों से विकसित की गई वन उपज में से समय—समय पर एवं अन्तिम विदोहन में से हिस्सा प्राप्त करने के प्रावधान हैं । इसके अतिरिक्त इन्हें इस प्रकार से भी तैयार किया गया है कि इनके जरिये नागरिक समुदाय की अन्य संस्थाओं जैसे कि स्वयं सेवी संस्थाएं (एनजीओ) सहकारी समितियां, पंचायते इत्यादि से भी इस प्रकार का योगदान प्राप्त हो सके । यही नहीं वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के अलावा भी यदि कोई स्वयं सेवी संस्था बिना किसी अधिकार/लाभ प्राप्त करने की शर्त पर वनों के संरक्षण एवं विकास में सहयोग देना चाहती हो तो इस प्रकार के सहयोग प्राप्त करने में वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी । वास्तव में ऐसा योगदान जो कि एवज में किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है उसे सहभागी के रूप में जल्द स्वीकार करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि साझा वन प्रबन्ध एक व्यापक स्तर का समुदाय का प्रयास बन सके ।

मुख्य रूप से इन दिशा–निर्देशों की यह भूमिका प्रस्तावित है कि इनके माध्यम से साझा वन प्रबन्ध एक जन अभियान के रूप में वन एवं वन भूमि की रक्षा एवं पुनर्वास के लिए उभरे और विभाग इस योगदान को सहर्ष स्वीकार करें । ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन भविष्य में इस आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जावेगा ।

(1) कार्य सम्पादन का माध्यम एवं प्रक्रिया :–

1.1 स्थानीय ग्रामवासियों की वन भूमि के विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध में सक्रिय सहभागीदारी प्राप्त करने की दृष्टि से क्षेत्र में कार्यरत सीधे ही ग्रावर्स को–ऑपरेटिव/ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को वृक्षविहीन परिभ्रांषित/परिभ्रांषित होने के कगार पर अथवा परिभ्रांषित हो सकने वाली वन भूमि एवं राजकीय पडत भूमि (जो वन विभाग को उपलब्ध कराई गई है) के टुकडों के विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध का दायित्व सौपा जावेगा । इस भूमि को इस आदेश में बाद में वन भूमि कहा गया है । जिन क्षेत्रों में ऐसी समितियां नहीं होगी वहां विभागीय अधिकारी स्वयं अथवा गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ऐसी समितियों का गठन का प्रयास करेगें ।

1.2 यथा सम्भव यह प्रयास किया जावेगा कि उपलब्ध कराई गई वन भूमि एक ही गांव की सीमा में आती हो जिससे एक गांव की एक इकाई बन सके । भूमि समीपस्थ गांव के लोगों की समिति को ही कार्य करने के लिए दी जावेगी । वन भूमि पर उनका कोई स्वामित्व नहीं होगा ।

1.3 जिस वन भूमि के टुकडे में वन विकास/वन सुरक्षा कार्य किया जा रहा है, उसमें वृक्षारोपण करने तथा/ वृक्षों /वन्य जीव की सुरक्षा करने एवं समुचित प्रबन्ध का कार्य समिति वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों/अन्य तकनिकी अधिकारी/गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधियों एवं ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों से वार्ता उपरान्त तैयार की गई प्रबन्ध योजना के अनुसार क्रियान्वित करेगी । यह प्रबन्ध योजना स्थानीय लोगों की वृक्ष की किस्म की मांग उनकी आवश्यकताओं का सही आंकलन करते हुए सूक्ष्म नियोजन के आधार पर तैयार की जावेगी ।

1.4 गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था, समिति एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्रियाशील होगी । स्वयं सेवी संस्थायें इस कार्य में उत्प्रेरक एवं संयोजक का कार्य करेगी तथा साझा वन प्रबन्ध में निरन्तरता बनाये रखने का प्रयास करेगी । उनकी क्षेत्र से प्राप्त उपज एवं आय में किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं होगी ।

2. ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का स्वरूप :–

2.1 प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति गठित करने का प्रयास किया जावेगा । उक्त ग्राम की सीमा में पडने वाले सभी परिवार जो ग्राम के स्थाई निवासी हो तथा जिन्हें ग्राम के प्राकृतिक संसाधन से लाभ प्राप्त करने के

अधिकार एवं रियायतें प्राप्त हो, उनकी समिति की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

2.2 यथा सम्भव एक राजस्व गांव के लिए एक समिति होगी किन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों जैसे जलग्रहण क्षेत्र, भूमि/उपज पर साझेदारी करवाये जाने वाले विकास में लोगों के सामान्य रूचि जुडी होना में एक से अधिक ग्राम के समूह की भी एक समिति गठित की जा सकती है । इसी प्रकार जन जातीय क्षेत्रों में एक राजस्व ग्राम में आने वाले फला अथवा ढाणी के लिए तथा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में चकवार पृथक–पृथक समिति गठित की जा सकती है परन्तु ऐसा तभी किया जा सकेगा जब ग्राम के सभी लोगों में इस सम्बन्ध में आम सहमति हो ।

3. समिति की सदस्यता एवं गठन :–

3.1 जिस ग्राम अथवा ग्रामों के समूह की अथवा फला/चक/ढाणी इत्यादि की समिति बनाई जा रही है, उसकी राजस्व सीमा में पडने वाले प्रत्येक परिवार के सभी व्यस्क व्यक्ति समिति के सदस्य बनने के पात्र होगें । वन विभाग का क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त ग्राम आता हो, सम्बन्धित ग्राम पंचायत तथा/अथवा गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था के सहयोग से सदस्यता हेतु सहमति प्राप्त कर सदस्यों की सूची तैयार करेगें जिसमें कम से कम 33 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी । क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी क्षेत्र के गैर सरकारी/ स्वयं सेवी संस्था के सहयोग हेतु लिखित में उन्हें आमन्त्रित करेगें । क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी सदस्यों की बैठक, जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत सदस्य उपस्थित हो, बुलाकर समिति के गठन के बारे में उनसे सहमति प्राप्त करेगें । तत्पश्चात् उक्त सूची क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी सम्बन्धित उप वन संरक्षक को भेजेंगे, जो सामान्यतः तीन माह में इसकी समीक्षा कर सही पाये जाने पर समिति के गठन व पंजीकरण के विधिवत आदेश प्रचलित करेगें अन्यथा अस्वीकार करेगें ।

3.2 गठित समिति समय अन्तराल में सदस्यों के जोडने/हटाने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी एवं जोडे/हटाये गये सदस्यों की सूची सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी/ वन प्रसार अधिकारी के मार्फत सम्बन्धित उप वन संरक्षक को भेजेगी । सम्बन्धित उप वन संरक्षक समय–समय पर भेजे गये ऐसी सदस्यों के बारे में अपने रेकार्ड में संशोधन करेगें ।

4. महिलाओं की सलाहकार उप समिति :–

4.1 प्रत्येक ग्राम में बनाई गई समिति के अतिरिक्त केवल महिला सदस्यों की एक सलाहकार उप समिति भी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा समिति के साथ–साथ गठित की जावेगी। इसमें ग्राम के कम से कम 7 महिला सदस्यों का होना आवश्यक होगा। उप समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चयन करेंगें। यह उप समिति विशेषकर महिलाओं के समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनके विचार को कार्यकारिणी में प्रस्तुत करेंगी। उप समिति के नियमित रूप से बैठक का आयोजन करना संबंधित वनपाल/ वनप्रसार सहायक/ वनरक्षक / वन प्रसारक का उत्तरदायित्व होगा वनपाल/ वनप्रसार सहायक/ वनरक्षक/ वन प्रसारक जो

कि कार्यकारिणी का पदेन सचिव भी है, उप समिति के द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यकारिणी के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। कार्यकारिणी उप समिति के प्रस्तावों पर विचार करेगी।

5. कार्यकारिणी का गठन :–

5.1 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के कार्य संचालन हेतु 11 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा । कार्य समिति के इन सदस्यों का चयन ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से ग्राम सभा द्वारा किया जावेगा । समिति से सम्बन्धित ऐसे गॉव/गॉवों का समूह/फला/चक जहां अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की संख्या कुल आबादी का क्रमशः 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत होगी । वहां इस कार्यकारिणी में ग्यारह में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का एवं एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सम्मिलित प्रतिशत कुल आबादी का 15 प्रतिशत या उससे कम होगा वहां एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में से लिया जावेगा । कार्यकारिणी में कम से कम तीन महिला सदस्य आवश्यक रूप से होगें । भूमिहीन व्यक्तियों में से भी कम से कम एक व्यक्ति को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जायेगा। उक्त चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी/ वन प्रसार अधिकारी चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

5.2 कार्यकारिणी 11 निर्वाचित सदस्यों में से 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष तथा 1 कोषाध्यक्ष का चयन करेगी। उक्त तीन पदों में से कम से कम एक पद पर महिला का चयन होना आवश्यक होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित पंचायत के सरपंच, पंच जो उस ग्राम के निवासी हो, कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे, परन्तु उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। क्षेत्र से संबंधित वन विभाग का वनपाल / वन प्रसार सहायक / वनरक्षक / वन प्रसारक इस समिति के पदेन सचिव होंगे एवं इसका भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा। महिला सलाहकार उपसमिति की अध्यक्ष भी कार्यकारिणी की पदेन सदस्य होगी एवं उसको वोट देने का अधिकार रहेगा।

5.3 यदि कार्यकारिणी समिति चाहे, तो उसके क्षेत्र के साथ जुडे किसी भी गैर सरकारी / स्वयंसेवी संस्था से एक व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेगी, परन्तु ऐसे सदस्य को भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

5.4 एक बार गठित की गई कार्यकारिणी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, उसके पश्चात समिति की कार्यकारिणी का नये सिरे से गठन किया जायेगा, जिसमें यह प्रयास किया जायेगा कि समिति के कार्यकारिणी में से ही किसी एक योग्य सदस्य को सचिव बनाया जाये। इस आदेश से पूर्व प्रचलित आदेशों के तहत गठित कार्यकारिणी का पुनर्गठन इस आदेश के प्रावधानों के तहत किया जायेगा तथा ऐसे पुनर्गठित कार्यकारिणी के किसी एक योग्य सदस्य को सचिव बनाये जाने का प्रयास किया जायेगा। कार्यकारिणी के सदस्य को सचिव बनाने की स्थिति में वन विभाग

का वनपाल / वनप्रसार सहायक / वनरक्षक / वनप्रसारक कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे, अन्यथा पूर्व की भांति वह पदेन सचिव का कार्य करेंगे।

(6) कार्यप्रणाली :–

6.1 बैठकें :– ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा प्रबन्ध समिति के प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी, जिसमें कोरम 40 प्रतिशत सदस्यों का होगा । महिला सदस्यों में से कम से कम 33 प्रतिशत सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होगा। एक तिहाई सदस्यों की मांग पर अध्यक्ष अथवा सचिव इसके अलावा भी साधारण बैठक बुला सकेंगें । कार्यकारिणी समिति की बैठक की वर्ष में कम स कम 4 बैठकें आयोजित होंगी किन्तु आवश्यक होने पर अध्यक्ष सचिव अधिक बैठकें भी बुला सकेंगें। कार्यकारिणी की बैठक में कोरम छः निर्वाचित सदस्यों का होगा, जिसमें से कम से कम एक महिला सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक हैं। कार्यकारिणी की बैठक में महिला सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

6.2 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य :– अध्यक्ष साधारण एवं कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह कार्य करेंगें । इसके अतिरिक्त समिति की ओर से इकरारनामा व अन्य दस्तावेजों पर अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत सदस्य ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के प्रतिनिधियों के रूप में अन्य विभागों, स्वैच्छित संस्थानों आदि से सम्पर्क कर सकेंगें।

6.3 सचिव के कार्य :– सचिव वर्ष में दो साधारण बैठक तथा 4 कार्यकारिणी की बैठके बुलाने के लिए उत्तरदायी होंगे । बैठकों की कार्यवाही संधारित करने एवं अगली बैठक में उसे अनुमोदित कराने का कार्य भी सचिव का होगा। समिति का सामान्य पत्र व्यवहार भी सचिव देखेंगें। वे समिति को अपने क्षेत्र में चारागाह व अन्य प्राकृतिक संसाधन के विकास के लिए सूक्ष्म नियोजन में सहायता करेंगें। इसके अतिरिक्त सचिव अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में भी समिति की सहायता करेंगें। महिलाओं की उपसमिति की बैठक का का आयोजन तथा उनके द्वारा पारित प्रस्तावों का कार्यकारिणी में प्रस्तुतकरण का दायित्व भी सचिव का होगा।

6.4 कोषाध्यक्ष के कार्य :– समिति के वित्तीय लेखों का संधारण करेंगे तथा साधारण सभा में समिति का हिसाब–किताब सदस्यों की जानकारी हेतु प्रस्तुत करेंगे। समिति की राशि के लिए स्थनिय बैंकों अथवा डाकघर में खाते खोल कर उसमें राशि जमा करायेंगे। इस खाते में से राशि कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार व्यय की जा सकेगी एवं खाते से राशि निकालने के लिए कोषाध्यक्ष, सचिव एवं अध्यक्ष तीनों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगें।

6.5 सरपंच अथवा पंच के कार्य :– उनका कार्य समिति एवं पंचायत के मध्य समन्वय स्थापित करना होगा।

(7) वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के दायित्व :–

7.1 वन भूमि जिसकी सुरक्षा तथा/ अथवा वृक्षारोपण कर विकास करने की सुविधा समिति को उपलब्ध कराई गई है कि ये समिति उस क्षेत्र के सभी सदस्यो, तकनीकी अधिकारियों से वार्ता कर सदस्यों की मूलभूत एवं क्षेत्र की तकनीकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में चारा विकास लघु वन उपज एवं वृक्षारोपण करने का पारिस्थितिकी अनुसार कार्य करेगी, जिससे कि सदस्यों को चारा, ईंधन व अन्य वन उपज की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

7.2 समिति वन क्षेत्र तथा / अथवा वृक्षारोपण से प्राप्त होने वाली लघु वन उपज जैसे घास, पत्ते, फल, फूल, छोटी टहनियों आदि के एकत्रीकरण एवं वितरण के संबंध में प्रबन्ध योजना के अनुसार नियम एवं प्रक्रिया तथा शुल्क निर्धारित कर सकेगी, जिससे कि क्षेत्र से निरन्तर वन उपज एवं आय प्राप्त होती रहे।

7.3 समिति उसके क्षेत्र में पडने वाले वन क्षेत्रों, वृक्षारोपण क्षेत्रों एवं वन्यजीव की अपने सदस्यों के माध्यम से सुरक्षा करना सुनिश्चित करेगी तथा क्षेत्र में अतिक्रमण, चराई छंगाई, चोरी अवैध खनन वन उपज की अवैध निकासी एवं आग की रोकथाम की प्रभावी व्यवस्था करेगी तथा वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को भी सूचित करेगी।

7.4 समिति एवं उसके सदस्य वन / वृक्षारोपण क्षेत्र में अवैधानिक कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों को पकडकर/ पकडवाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में वन अधिकारियों को सहयोग करेगी। ऐसा कोई भी कृत्य जो राजस्थान वन अधिनियम, 1953, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं उसके अधीन बने नियमों के तहत वर्जित हैं, उसे होने से रोकेगी।

7.5 समिति के किसी सदस्य की वन क्षेत्र / वृक्षारोपण विरोधी गतिविधी के संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को अवगत कराने का दायित्व समिति के सदस्यों / कार्यकारिणी का होगा। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि उसके किसी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का दुरूपयोग तो नहीं किया जा रहा है। दुरूपयोग किये जाने की स्थिति में कार्यकारिणी ऐसे सदस्य/ सदस्यों को समिति की आम राय से आर्थिक रूप से दण्डित करने की प्रक्रिया निर्धारित कर कार्यवाही कर सकती है। प्राप्त राशि समिति के खाते में जा की जावेगी। निरन्तर दुरूपयोग पाये जाने पर ऐसे सदस्य/ सदस्यों की कार्यकारिणी द्वारा बहुमत के निर्णय अनुसार निष्कासित कर सकेगी।

7.6 समिति को वन विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध की सुविधा की दृष्टि से उपलब्ध कराई गई भूमि में किसी प्रकार के कृषि, उद्योग, पक्के आवास एवं ऐसा कोई कार्य, जो वन विकास की श्रेणी में नहीं आता हो, करने की आज्ञा नहीं होगी।

7.7 समिति प्राप्त आय को पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा / अथवा वन / वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने की कार्य योजना तैयार करेगीं।

(8) वन विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के दायित्व :–

8.1 जिले में मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिक से अधिक गांवों में प्राथमिकता के तौर पर ऐसी समितियों का गठन करेंगे तथा प्रत्येक समिति के लिए वनपाल/ वनरक्षक को मनोनीत करेंगे, जो प्रारम्भ में समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

8.2 वन विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों को नर्सरी में पौध तैयारी, वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध, जैव विविधता संरक्षण, लेखों का संधारण, कौशल बुद्धि आदि पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण देंगे।

8.3 वन विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी वन सुरक्षा के उपाय, वृक्षारोपण स्थल का चयन करने एवं सूक्ष्म नियोजन करने में समिति को सक्रिय सहयोग देंगे।

8.4 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों के द्वारा वन क्षेत्र/ वृक्षारोपण में नुकसान होने की सम्भावना की सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित वनाधिकारी तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावेंगे।

8.5 क्षेत्र में कल्चरल ऑपरेशन, विदोहन आदि विभाग की देखरेख में करायेंगे।

8.6 समिति की प्राप्त आय को पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा / अथवा वन वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने की कार्य योजना तैयार करा कर संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृति किया जावेगा।

8.7 ग्राम वन सुरक्षा प्रबन्ध समितियों को वन विभाग की क्षेत्र की सुरक्षा हेतु निर्धारित राशि आवंटित कर सकता है, परन्तु ऐसे क्षेत्रों में वन विभाग पृथक से पशुरक्षक नहीं रखे जावेंगें। इस राशि को समिति ग्राम विकास कार्यों पर भी व्यय कर सकेगी।

8.8 अधिक से अधिक वन सुरक्षा समितियों को जनता वन योजना के माध्यम से वृक्षारोपण कराने हेतु प्रेरित करेंगें। इस योजना के तहत समिति द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए समिति को ठेकेदार की श्रेणी में नहीं माना जावेगा।

8.9 वन विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवादों में मध्यस्थता कर विवादों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभायेंगें।

(9) गैर सरकारी / स्वयंसेवी संस्थाओं के दायित्व :–

9.1 गैर सरकारी/ स्वयंसेवी संस्था वन विभाग व समिति के बीच समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्रियाशील एवं उत्तरदायी होंगी।

9.2 गैर सरकारी/ स्वयंसेवी संस्था समिति के गठन में उत्प्रेरक का कार्य करेगी।

9.3 सूक्ष्म नियोजन कार्य में तथा प्रबन्ध योजना की तैयारी में सहयोग देंगे।

9.4 वन विभाग के विभिन्न नीति–नियमों के बारे में आम जनता को जानकारी देंगे।

9.5 वन उपज के बंटवारे में यदि जनता के बीच विवाद उत्पन्न होता है, इस प्रकार के विवादों में मध्यस्थता कर विवाद को सुलझाने में वे सक्रिय भूमिका निभायेंगे।
9.6 ग्रामीणों से निरन्तर सम्पर्क रखकर उनकी कठिनाइयों के बारें में वन विभाग को सूचित करेंगें।

(10) साझा वन प्रबन्ध योजना :–

10.1 वन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्यकारिणी समिति अन्य तकनीकी अधिकारी/ स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों से विचार–विमर्श कर सूक्ष्म नियोजन के आधार पर तथा साझा वन प्रबन्ध अतिआच्छादी प्रबन्ध वृत्त के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जावेगा तथा जिन कार्य योजनाओं में वर्तमान में साझा वन प्रबन्ध अतिआच्छादी वृत्त का प्रावधान नहीं हैं, के उपचार एवं प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जावेगा। ठोस वन संवर्धन विधि, जल एवं मृदा संरक्षण, जैवविविधता संरक्षण आदि तैयार की गई प्रबन्ध योजना के अभिन्न अंग होंगे। इस योजना की तैयारी के समय विभिन्न ग्रामीण समाज के सभी वर्ग विशेषकर महिलाओं तथा कमजोर वर्गों से विचार–विमर्श करना अनिवार्य होगा।

10.2 विभिन्न वन उपजों के विभाजन एवं आय के उपयोग के बारे में इस आदेश में दी गई व्यवस्था के आधार पर दी गई प्रबन्ध योजना में स्पष्ट प्रावधान करेंगें।

10.3 सुरक्षा / अथवा/ तथा विकास हेतु उपलब्ध कराई गई वन भूमि के संबंध में समिति एवं संबंधित उप वन संरक्षक के मध्य एक करार(अनुबंध) संलग्न प्रारूप में किया जावेगा।

(11) वन भूमि से प्राप्त होने वाली वन उपज का लाभ निम्नानुसार प्राप्त होगाः–

11.1 अंतिम विदोहन से पूर्व

11.1.1 वन / वृक्षारोपण क्षेत्र, जिसके विकास तथा/ अथवा सुरक्षा ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा किया जा रहा है, उससे समय–समय पर प्राप्त होने वाली लघु वन उपज (तेंदू पत्ता एवं गोंद को छोडकर) जैसे घास, पत्तियां, पाला, पलिया, फल–फूल, बीज, गिरी–पडी टहनियां, मूंजा(पानी पूला) बुहारी, खस तथा अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अन्य वन उपज समिति

को निशुल्क उपलब्ध होगी। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समिति के सदस्य लघु वन उपज निकास कर सकेंगें व इसके लिए वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों की आम सहमति से कोई शुल्क भी अधिरोपित कर सकती है, जो समिति की आय होगी।

11.1.2 क्षेत्र के निम्न वन उपज प्राप्त करने का समिति के सदस्यों को अधिकार उसी स्थिति में होगा, जबकि कम से कम पांच वर्ष तक लगातार वन / वृक्षारोपण क्षेत्र में ऐसी समिति द्वारा प्रभावी सुरक्षा एवं प्रबंध कार्य अनुबंध उपरांत किया गया हो। पूर्व प्रचलित साझा वन प्रबंध परिपत्र दिनांक 15.3.1991 एवं 24.6.1991 के अनुसार गठित समितियों से यदि अनुबंध नहीं हुआ हो, तो ऐसी समितियों को पंजीकरण तिथि वन उपज का लाभ देने के लिए अनुबंध की तिथि मानी जावेगी। अनुबंध की तिथि में शिथिलता का लाभ केवल उन्हीं समितियों को दिया जावेगा, जो वन विकास सुरक्षा एवं प्रबंध में निरंतर सक्रिय रही हों और संबंधित उप वन संरक्षक ने ऐसी समितियों के निरंतर सक्रिय होने का प्रमाणपत्र जारी कर दिया हो।

1– अनुमोदित प्रबंध योजना के अनुसार यदि वृक्षारोपण /क्षेत्र / सुरक्षा किये जाने वाले क्षेत्र में कोई कल्चरल ऑपरेशन किये जाते हो, तो उसके फलस्वरूप उपलब्ध समस्त वन उपज पर, कल्चरल ऑपरेशन पर अगर विभागीय व्यय हुआ हो, तो उसे कम करने के उपरांत वन सुरक्षा समिति का अधिकार होगा।
2– यदि अनुमोदित प्रबंध योजना में प्रावधान है और वन/ वृक्षारोपण /क्षेत्र में वृक्ष इतने बडे हो गये हैं कि चराई के लिए उनकी छंगाई की अनुमति दी जा सके, तो समिति आम सहमति से प्रति पशु या प्रति वृक्ष शुल्क अधिरोपित करके प्रबंध योजना द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर पशुओं की चराई हेतु छंगाई की अनुमति दे सकती है और इस प्रकार आय प्राप्त कर सकती है।

11.1.3 उपरोक्त साधनों से प्राप्त पूर्ण आय समिति के खाते में जमा की जायेगी।

11.2 अंतिम विदोहन (Final Felling) के समय

11.2.1 क्षेत्र के संबंध में तैयार की गई अनुमोदित प्रबंध योजना के प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में उपज की विदोहन / आवर्तन विदोहन (Rotational Felling) /विदोहन चक (Felling cycle) के अनुसार करवाया जायेगा। विदोहन के पश्चात प्राप्त लकड़ी व बांस को दो वर्षों में एकत्रित किया जायेगा।

11.2.2 प्रथम वर्ग में घास को छोडकर 20 से.मी. या उससे कम गोलाई (छाल सहित) की लकडी वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति की सिफारिश के अनुसार समिति के सदस्यों में समानुपात में वन अधिकारियों की देखरेख में वितरित कर दी जायेगी ।

11.2.3 दूसरे वर्ग में 20 से.मी. गोलाई से अधिक (छाल सहित) की लकडी एवं सभी नाप का बांस वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के सदस्यों के समक्ष स्थानीय बाजार में प्रचलित दरों पर सदस्यों मे विक्रय कर दी जायेगी।

11.2.4 समिति के सदस्यों की मांग से अधिक लकडी एवं घास का निस्तारण ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति की सिफारिश के अनुसार सदस्यों के समक्ष वन विभाग के नियमानुसार खुली नीलामी या निर्धारित दर द्वारा विक्रय कर दिया जायेगा।

11.3 आय का विभाजन :–

11.3.1 अंतिम विदोहन से प्राप्त आय के अलावा समय–समय पर प्राप्त अन्य आय में से समिति द्वारा प्राथमिकता पर वन / वृक्षारोपण क्षेत्र को सुरक्षा /संधारण विकास हेतु व्यय किया जायेगा एवं उनकी राय अनुसार अन्य उपयोग में भी लिया जा सकेगा।

11.3.2 वन भूमि पर वृक्षारोपण सुरक्षा एवं प्रबंध की व्यय होने वाली पूर्ण राशि विभाग द्वारा वहन / उपलब्ध कराने पर अंतिम विदोहन से प्राप्त घास एवं 20 से. मी. से अधिक गोलाई की लकडी के विक्रय या नीलामी से प्राप्त कुल सकल आय का 50 प्रतिशत हिस्सा वन विभाग के राजस्व खाते में जमा करवा दिया जायेगा। आय का अवशेष 50 प्रतिशत हिस्सा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के खाते में जमा किया जायेगा। समिति के खाते में जमा कराई गई राशि में से आधी राशि समिति के सदस्यों की आम राय अनुसार उपभोग में ली जायेगी। आधी शेष बची आय की राशि को समिति पुनः उसी या नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा/ अथवा वन /वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने के कार्य में लगायेगी।

11.3.3 समिति द्वारा वन भूमि पर वृक्षारोपण / सुरक्षा एवं प्रबंध हेतु व्यय होने वाली पूर्ण राशि का वहन करने पर बांस एवं 20 से.मी. से अधिक गोलाई की लकडी के विक्रय या नीलामी से प्राप्त कुल सकल आय का 10 प्रतिशत हिस्सा वन विभाग के राजस्व खाते में जमा करवा दिया जायेगा। आय का अवशेष 90 प्रतिशत हिस्सा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के खाते में जमा किया जायेगा। समिति के खाते में जमा कराई गई राशि में से 70 प्रतिशत राशि समिति के सदस्यों की आम राय अनुसार उपयोग में ली जायेगी। 30 प्रतिशत शेष बची आय की राशि को समिति पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा/ अथवा वन / वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने के कार्य में लगायेगी।

11.3.4 समिति द्वारा वन भूमि की मात्र सुरक्षा एवं प्रबंध करने पर अंतिम विदोहन से प्राप्त बांस एवं 20 से.मी. से अधिक गोलाई की लकडी के विक्रय या नीलामी से प्राप्त कुल सकल आय का 80 प्रतिशत हिस्सा वन विभाग के राजस्व खाते में जमा कर दिया जायेगा। आय का अवशेष 20 प्रतिशत हिस्सा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के खाते में जमा किया जायेगा। समिति के खाते में जमा कराई गई राशि समिति के सदस्यों की आम राय अनुसार उपयोग में ली जायेगी।

11.3.5 समय–समय पर प्राप्त आय को समिति के खाते में जमा किया जायेगा, उसका रिकार्ड वर्ष –प्रतिवर्ष संधारित किया जायेगा, उसका निरीक्षण संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी एवं वन विभाग के अन्य उच्चाधिकारी कर सकेंगें।

(12) विवादों का समाधान :–

12.1 समिति के सदस्यों के बीच अथवा ग्रामीण जनता के 2 या अधिक गुटो के बीच उत्पन्न विवाद का फैसला करने में कार्यकारणी समिति सक्रिय भूमिका निभायेगी। आवश्यक होने पर गैर सरकारी/ स्वयंसेवी संस्था/ वन विभाग से भी मदद लेगी। कार्यकारणी के द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

12.2 समिति या पंचायत एवं समिति के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी विवादो का फैसला करेगें।
12.3 उपरोक्त सभी निर्णयों के विरुद्ध अपील संबंधित उप वन संरक्षक को की जावेगी।

(13) समिति द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य न करने पर कार्यवाही :–

13.1 क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को राज्य सरकार से एक अनुबंध करना होगा। इस आदेश में ऊपर वर्णित सामान्य शर्तों तथा अनुबंध की विशिष्ट शर्तों का किसी एक सदस्य द्वारा उल्लंघन करना पाया जाने की स्थिति में समिति ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त कर वन विभाग के संबंधित उप वन संरक्षक को सूचित करेगी।

13.2 ऐसे प्रकरण जहां समिति सामान्य शर्तों तथा अनुबन्ध की विशिष्ट शर्तों के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रही हो तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी द्वारा कम से कम दो लिखित नोटिस देने के उपरांत भी समिति ने अपने कार्य में वांछित सुधार न किया हो, तो उप वन संरक्षक कारणों की जांच करायेंगे एवं निराकरण के लिए उचित कदम उठायेंगे, इसके उपरांत भी शर्तों का उल्लंघन होने पर उप वन संरक्षक उपरोक्त समिति से अनुबंध भंग कर देंगें। अनुबंध भंग होने के उपरांत क्षेत्र की प्रबंध की व्यवस्था उप वन संरक्षक द्वारा कराई जायेगी।

13.3 इस प्रकार भंग किये गये अनुबंध के संबंध में समिति संबंधित वन संरक्षक को दो माह के अन्दर अपील कर सकेगी। वन संरक्षक का निर्णय विभागीय अधिकारी एवं समिति दोनों के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

आज्ञा से,

ह0
(राकेश वर्मा)
शासन सचिव वन

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (39) वन / 90 जयपुर, दिनाक 23.5.2002

शुद्धि पत्र

विषय :– परिभ्रांषित एवं वृक्षविहीन हुई वन भूमि को पुनः हरा–भरा करने एवं सघन वनों के प्रबन्धन में ग्रामवासियो की भागीदारी प्राप्त करने की योजना।

परिभ्रांषित एवं वृक्षविहीन हुई वन भूमि को पुनः हरा–भरा करने में स्थानीय ग्रामवासियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.10.2000 के अनुच्छेद 5.1 में उल्लेखित ''ग्राम सभा'' का तात्पर्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं पंचायती राज (मोडिफिकेशन ऑफ प्रोविजन इन देयर एप्लीकेशन टू दी शिड्यूल्ड एरियाज) अधिनियम 1999 के अनुरूप समझा जावे।

अनुच्छेद 5.2 में ''पंचायत के सरपंच/ पंच जो उस ग्राम के निवासी हों, कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे'' के पश्चात् विद्यमान शब्द ''परन्तु उनको वोट देने का अधिकार नही होगा'' के स्थान पर शब्द '' एवं इसके साथ ही उन्हें वोट देने का अधिकार भी होगा'' पढ़े जावें।

आज्ञा से,

ह0
(कुशल सिंह)
शासन सचिव, वन